



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2015/भाद्र 23, 1937

No. 241]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2015/BHADRA 23, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

विषय :- दिनांक 1 सितम्बर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत के इक्कीसवें विधि आयोग का गठन।

फा.सं. ए-45012/3/2015-प्रशा.।।।(वि.का.):— दिनांक 1 सितम्बर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत के इक्कीसवें विधि आयोग के गठन के लिए एतद्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

- (i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
- (ii) चार पूर्णकालिक सदस्य (एक सदस्य-सचिव सहित);
- (iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, पदेन सदस्य के रूप में;
- (iv) सचिव, विधायी विभाग, पदेन सदस्य के रूप में, और
- (v) पांच से अनधिक अंशकालिक सदस्य

2. विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्यों (सदस्य-सचिव सहित) और अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

पूर्णकालिक अध्यक्ष/सदस्य

(क) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश

(i) वह उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के कृत्यों का पालन पूर्णकालिक आधार पर करेगा।

(ii) आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कृत्यों का पालन करने में जो समय वह लगाएगा उसे -

(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, समय-समय पर यथा संशोधित, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 2 (ख) (i) के; और

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, समय-समय पर यथा-संशोधित, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 2 (ग) (i) के प्रयोजनों के लिए "वास्तविक सेवा" माना जाएगा।

आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुज्ञेय नहीं होगा।

(iii) वह अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान, आयोग के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए, यात्रा भत्ता उसी दर पर लेने का हकदार होगा जो उसे, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुज्ञेय है।

अन्य सभी मामलों में, उस पर -

(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ता) नियम, 1959, और उसके अधीन बनाए गए अन्य नियम; और

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ता) नियम, 1956, और उसके अधीन बनाए गए अन्य नियम लागू होंगे।

(iv) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए वह स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा।

(ख) पूर्णकालिक आधार पर पुनर्नियुक्त हुए उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(i) वह अपनी नियुक्ति की तारीख से और आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के कृत्यों का पालन पूर्णकालिक आधार पर करेगा।

(ii) अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

(क) वह उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू दर से मासिक वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा, परंतु यदि वह पेंशन या ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या किसी अन्य सेवानिवृत्ति-लाभ के रूप में कोई सेवानिवृत्ति-लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो चुका है, तो उसके वेतन में से पेंशन या सेवा-ग्रेच्युटी के पेंशन समानक या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या सेवानिवृत्ति-लाभ के किसी अन्य रूप, यदि कोई हो, की कुल राशि को घटा दिया जाएगा। लेकिन इस गणना में उसके द्वारा प्राप्त किए जा चुके या प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के पेंशन समानक को शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) वह ऐसे भत्ते और लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के लिए ग्राह्य हैं।

(ग) वह अपनी नियुक्ति की तारीख से, पुनर्नियुक्त केंद्रीय सरकारी सेवकों को लागू शर्तों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने का हकदार होगा।

(iii) वह आयोग में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर छुट्टियों का नकद भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा, परंतु ऐसे नकद भुगतान के लिए दिनों की कुल संख्या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से उसकी सेवानिवृत्ति के समय और आयोग में उसके कार्यकाल की समाप्ति के समय को मिलाकर 300 दिन तक प्रतिबंधित रहेगी।

(iv) आयोग का अध्यक्ष आयोग के सदस्यों को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और आयोग के अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति होगा।

(v) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए वह स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा।

(ग) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति

- (i) वह अपनी नियुक्ति की तारीख से और आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के कृत्यों का पालन पूर्णकालिक आधार पर करेगा।
- (ii) उसे 80,000/- रु0 (नियत) प्रतिमास का वेतन प्राप्त होगा। सेवानिवृत्त व्यक्ति की दशा में, उसे 80,000/- रु0 प्रतिमास से अनधिक वेतन (जिसमें पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों का पेंशन समानक भी सम्मिलित है) प्राप्त होगा। वह समान वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकारी अधिकारी को देय भत्तों और अन्य निबंधनों व शर्तों का भी हकदार होगा।
- (iii) वह अपनी नियुक्ति की तारीख से, पुनर्नियुक्त केंद्रीय सरकारी सेवकों को लागू शर्तों के अधीन अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने का हकदार होगा।
- (iv) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए वह स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा।
- (v) वह केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को अनुज्ञेय छुट्टियों का हकदार होगा। वह आयोग में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर छुट्टियों के नकद भुगतान का हकदार होगा परंतु ऐसे भुगतान के लिए दिनों की संख्या सरकार से उसकी सेवानिवृत्ति के समय (सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के मामले में) और आयोग में उसके कार्यकाल की समाप्ति के समय को मिलाकर 300 दिन तक प्रतिबंधित रहेगी।

(घ) पूर्णकालिक सदस्य-सचिव/सचिव

- (i) पूर्णकालिक सदस्य-सचिव भारत सरकार के सचिव के रैंक का भारतीय विधि सेवा का सेवारत सदस्य होगा। सदस्य-सचिव की अनुपस्थिति में भारतीय विधि सेवा के अपर सचिव या संयुक्त सचिव के रैंक का अधिकारी विधि आयोग के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(ङ.) अंशकालिक सदस्य/परामर्शदाता

- (i) अंशकालिक सदस्य/परामर्शदाता को रु.20,000/- प्रतिमास का मानदेय दिया जाएगा।
  - (ii) आयोग के कार्य के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए उन अंशकालिक सदस्यों/परामर्शदाताओं को, जो गैर-सरकारी सदस्य हैं, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता देय होगा। जहां ऐसी यात्रा वायुयान से की जाती है, वहां यात्रा की श्रेणी अर्थात् इकानामी क्लास या एकजीक्यूटिव क्लास का निर्णय अध्यक्ष और सदस्य-सचिव/सचिव करेंगे। उन अंशकालिक सदस्यों/परामर्शदाताओं के मामले में, जो सरकारी सेवक हैं, आयोग के कार्य की बाबत यात्रा के लिए यात्रा भत्ता सरकारी सेवकों के तौर पर उनके लिए लागू सुसंगत नियमों के अनुसार मिलेगा।
  - (iii) आयोग का अध्यक्ष अंशकालिक सदस्यों/परामर्शदाताओं के यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी होगा।
  - (iv) आयोग के अंशकालिक सदस्यों/परामर्शदाताओं के मामले में वे स्थान जहां वे साधारणतया निवास करते हैं, और जिनके बारे में पहले से सूचित किया गया हो, यात्रा-भत्ते के प्रयोजन के लिए उनके मुख्यालय होंगे।
- (च) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य (सदस्य-सचिव को छोड़कर) अपने पद पर रहते हुए किसी मामले में मध्यस्थ के तौर पर कार्य नहीं करेगा। तथापि, केंद्रीय सरकार, उनकी नियुक्ति के समय उनके पास लंबित माध्यस्थ कार्य को छह माह से अनधिक अवधि के भीतर पूरा करने की अनुमति दे सकेगी।

## 4. 21वें विधि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

क. अप्रचलित विधियों की समीक्षा/निरसन

- (i) उन विधियों की पहचान करना, जिनकी अब आवश्यकता नहीं रह गई है या जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।
- (ii) उन विधियों की पहचान करना, जो वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के माहौल के अनुरूप नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
- (iii) उन विधियों की पहचान करना, जिनमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता है और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

- (iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए पुनर्विचार/संशोधन के सुझावों का समन्वय करते हुए उन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।
- (v) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कामकाज से संबंधित विधानों के बारे में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से विधि आयोग को भेजे गए मामलों पर विचार करना।
- (vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।
- ख. **विधि और निर्धनता :**
- (i) ऐसी विधियों की समीक्षा करना जिनसे निर्धन व्यक्ति प्रभावित होते हैं और सामाजिक-आर्थिक विधानों की पश्च-समीक्षा करना।
- (ii) निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया के सदुपयोग के लिए सभी आवश्यक उपाय करना।
- ग. यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुरूप हो और विशेष रूप से -
- (i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों को शीघ्र और कम खर्च पर निपटाने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;
- (ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वे साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करें; और
- (iii) न्याय-प्रशासन से संबद्ध सभी के स्तरों में सुधार करने के लिए न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।
- घ. राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधियों की जांच करना तथा उनके विकास और उनमें सुधार के उपायों के लिए सुझाव देना और ऐसे विधानों का भी सुझाव देना जो निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।
- ड. स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्तमान विधियों की जांच करना तथा उनमें संशोधन का सुझाव देना।
- च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना, जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी असंगतियों, संदिग्धार्थताओं और असमताओं को दूर किया जा सके।
- छ. अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, को निरसित करके कानून को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।
- ज. विधि और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से निर्देशित किया जाए, विचार करना और उस पर अपने विचार सरकार को बताना।
- झ. अनुसंधान उपलब्ध कराने हेतु विदेशों से प्राप्त हुए निवेदनों पर विचार करना, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से निर्देशित किए जाएं।
- ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की जांच करना तथा हाशिये पर रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए उपायों का सुझाव देना।

आयोग नोडल मंत्रालयों/विभागों और अन्य ऐसे पणधारियों, जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, के साथ परामर्श करने के पश्चात अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।

विधि आयोग उपरिलिखित अपने विचारार्थ विषयों की मद सं० "क" अर्थात् "अप्रचलित विधियों की समीक्षा/निरसन" से संबंधित सभी मुद्दों का समयबद्ध रूप से अध्ययन करेगा और अप्रचलित विधियों के निरसन और अन्य विधियों में आवश्यकतानुसार उचित संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें "सर्वोच्च प्राथमिकता" के आधार पर सरकार को प्रस्तुत करेगा।

आयोग अपनी रिपोर्टें हिन्दी और अंग्रेजी में, संसद के दोनों सदनों के सभापटलों पर रखने हेतु पर्याप्त प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। विधि आयोग अपनी रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत करने के तुरंत पश्चात उन्हें अपनी वेबसाइट पर या अन्य तरीके से भी उपलब्ध कराएगा।

विभिन्न विधि आयोगों द्वारा अब तक लगभग 262 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं। ये सभी रिपोर्टें विधि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। चूंकि कई रिपोर्टें बहुत बड़ी हैं, शोधकर्त्ताओं को उन्हें ऑनलाइन पूरा पढ़ पाने में कठिनाई होगी। अतः विधि आयोग द्वारा अपनी सभी रिपोर्टों के सारांश को आनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शोधकर्त्ता अपने क्षेत्र के विषयों को आसानी से देख/पढ़ सकें और न्यायाधीश, वकील, विधि के शिक्षक और छात्र विधि आयोग की विभिन्न सिफारिशों से आसानी से अवगत हो सकें।

5. विधि आयोग देश के प्रख्यात विधि विश्वविद्यालयों/विधि विद्यालयों और नीति अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी नेटवर्क विकसित कर सकेगा। आयोग भारत में मान्यताप्राप्त विधि महाविद्यालयों/विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विधि के विद्यार्थियों को अपने स्वैच्छिक इंटरनशिप कार्यक्रम के तहत इंटरनशिप के अवसर भी प्रदान कर सकेगा। इस कार्यक्रम का विवरण आयोग की वेबसाइट पर दिया जा सकेगा।

6. जहां तक चालू वित्त वर्ष 2015-2016 का संबंध है, आयोग पर होने वाला व्यय विधि और न्याय मंत्रालय की मांग सं0 63 के अधीन मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-लघु शीर्ष 00.105-विशेष जांच आयोग-01-विधि आयोग के नामे डाला जाएगा। वित्त वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के लिए व्यय की व्यवस्था संसद द्वारा उन वर्षों के लिए दत्तमत अनुदानों में से की जाएगी।

7. यह आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की दिनांक 18 अगस्त, 2015 की सूचना सं0 153991/ई.सी./2015 के तहत उनकी सहमति से और मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 11.09.2015 की सूचना सं. 37/CM/2015 के तहत मंत्रिमंडल के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

दिनेश भारद्वाज, अपर सचिव

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

### ORDER

New Delhi, the 14th September, 2015

**Subject : Constitution of twenty-first Law Commission of India for a period of three years from 1st September, 2015 to 31st August, 2018.**

**F. No. A-45012/3/2015-Admn. III (LA):**—The sanction of the President is hereby accorded to the constitution of the twenty-first Law Commission of India for a period of three years from September 1, 2015 to August 31, 2018 consisting of:

- i) a full-time Chairperson;
- ii) four full-time Members (including Member-Secretary);
- iii) Secretary, Department of Legal Affairs as ex officio Member;
- iv) Secretary, Legislative Department as ex officio Member, and
- v) not more than five part-time Members.

2. The headquarters of the Law Commission will be at New Delhi.

3. Sanction of the President is also accorded to the following terms and conditions of appointment of the full-time Chairperson, Members (including Member-Secretary) and part-time Members:-

#### **FULL-TIME CHAIRPERSON/ MEMBERS**

##### **(A) SERVING JUDGES OF SUPREME COURT/HIGH COURT**

- (i) He will perform the functions of Chairperson/Member of the Law Commission on a whole-time basis up to the date of his retirement from the Supreme Court/High Court or expiry of the term of the Commission, whichever be earlier.
- (ii) The time spent by him in the performance of such functions as Chairperson/Member of the Commission will be treated as "actual service" for purposes of:-
  - a. in the case of a Supreme Court Judge, Section 2(b)(i) of the Supreme Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1958, as amended from time to time;

3888 57/15-2

- b. in the case of a High Court Judge, Section 2(c) (i) of the High Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1954, as amended from time to time.

No additional remuneration apart from the salary, as a Judge of the Supreme Court/High Court, as the case may be, will be admissible to him for performing the functions and duties of Chairperson/ Member of the Commission.

- (iii) For journeys performed in connection with the work of the Commission during the period of his assignment, he will be entitled to draw Travelling Allowance at the same rate as admissible to him as a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be.

In all other matters, he will be governed by:

- a. the Supreme Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1958 and the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, and other Rules framed thereunder, in the case of a Judge of the Supreme Court;
- b. the High Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, and other Rules framed thereunder, in the case of a Judge of a High Court.

- (iv) He will be his own Controlling Officer for the purpose of Travelling Allowance.

(B) **RETIRED JUDGES OF SUPREME COURT/HIGH COURT RE-EMPLOYED ON WHOLE-TIME BASIS**

- (i) He will perform the functions of Chairperson/ Member of the Law Commission on a whole-time basis from the date of his appointment and up to the expiry of the term of the Commission.

- (ii) The terms and conditions of his appointment as Chairperson/ Members shall be as under:

- a. He will be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to a Judge of the Supreme Court/High Court, provided that if he is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the salary shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.
- b. He will be entitled to such allowances and benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court/High Court.
- c. He will be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund from the date of his appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants.

- (iii) He will be entitled to encashment of leave at the end of his tenure in the Commission, provided that the total number of days of encashment of leave taken on his retirement as Judge of Supreme Court/High Court and at the end of his tenure in the Commission shall be restricted to 300 days.

- (iv) The Chairperson will be the authority competent to sanction leave to the Members and the President of India will be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

- (v) He will be his own Controlling Officer for the purpose of Travelling Allowance.

(C) **OTHER CATEGORIES OF PERSONS**

- (i) He will perform the functions of Chairperson/ Member of the Law Commission on a whole-time basis from the date of his appointment and up to the expiry of the term of the Commission.
- (ii) He will be allowed a pay of Rs.80,000/- (fixed) per month. In the case of a retired person, he will be allowed pay (including pension or pension equivalent to the retirement benefits) not exceeding Rs.80,000/- per month. He will also be entitled to allowances and other terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government getting equal pay.
- (iii) He will be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund from the date of his appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants.
- (iv) He will be his own Controlling Officer for the purpose of Travelling Allowance.

- (v) He will be entitled to leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. He will be entitled to encashment of leave at the end of his tenure in the Commission, provided that the total number of days of encashment of leave taken on his retirement from Government (in case of retired Government servant) and at the end of his tenure in the Commission shall be restricted to 300 days.

(D) **FULL-TIME MEMBER-SECRETARY/ SECRETARY**

- (i) Full-time Member-Secretary will be a serving Member of the Indian Legal Service in the rank of Secretary to the Government of India. In the absence of Member-Secretary, an Additional Secretary or Joint Secretary belonging to the Indian Legal Service will function as Secretary of the Law Commission.

(E) **PART-TIME MEMBERS/ CONSULTANTS**

- (i) A part-time Member/Consultant will be paid an honorarium of Rs.20,000/- per month.
- (ii) For the journeys performed in connection with the work of the Commission, the Travelling Allowance of the part-time Members/Consultants who are non-officials will be as admissible to officers of the level of Joint Secretary in the Government of India. Where such journey is performed by air, the Chairperson and Member-Secretary/Secretary, will decide the class of travel i.e. economy class or executive class. In the case of part-time Members/Consultants, who are Government servants, the Travelling Allowance for journeys in respect of the work of the Commission will be governed by the relevant rules applicable to them as Government servants.
- (iii) The Chairperson of the Commission will be the Controlling Officer for the purpose of the Travelling Allowance of the Part-time Members/ Consultants.
- (iv) In the case of part-time Members/ Consultants of the Commission, the ordinary places of their residence, to be named in advance, will be their respective Headquarters for the purpose of Travelling Allowance.

(F) The Chairperson and Members (excluding the Member Secretary) of the Commission, while holding the office as such, shall not act as arbitrator in any matter. However, the Central Government may permit them to complete pending arbitrations with them at the time of their appointment, within a period not exceeding six months.

4. The terms of reference of the 21st Law Commission will be as under:

A. Review/Repeal of obsolete laws:

- (i) Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.
- (ii) Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need change.
- (iii) Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment.
- (iv) Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them.
- (v) Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department.
- (vi) Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law.

B. Law and Poverty:

- (i) Examine the laws which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations.
- (ii) Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor.

C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure:

- (i) elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair.
- (ii) simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice.
- (iii) improvement of standards of all concerned with the administration of justice.

- D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution.
- E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto.
- F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities.
- G. Recommend to the Government measures for making the statute book up to date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility.
- H. Consider and convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).
- I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs).
- J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalised.

The Commission will concretize its recommendations after consultation with the nodal Ministry/Department(s) and such other stakeholders as the Commission may deem necessary for the purpose.

The Commission shall devote its time bound attention to all issues relating to item 'A' of the terms of reference as indicated above, viz., review/repeal of obsolete laws and shall make its recommendations to Government for repeal of obsolete laws and for appropriate amendments in others as may be found necessary on top priority basis.

The Commission shall submit its reports in Hindi and English with sufficient number of copies for being placed on the Tables of both Houses of Parliament. The Law Commission shall also make its reports available through website or otherwise as soon as reports are submitted to the Government.

Various Law Commissions have given about 262 Reports so far. All of them are made available on the website of Law Commission. Since many of the Reports are voluminous it will be difficult for researchers to read an entire Report online. To facilitate the researchers to choose the topics of their area and to create awareness amongst Judges, Lawyers, Law Teachers and Students on the various recommendations of the Law Commission, a brief summary of all the Reports of the Law Commission shall be made available by the Law Commission, online.

5. The Law Commission may develop partnership network with reputed Law Universities/Law Schools and policy research institutions in the country. The Commission may also provide opportunities to fresh graduates/students in law from recognized law colleges/schools/universities in India, under its voluntary internship programme, the details of which may be given on its website.

6. The expenditure involved is debitable to the Major Head 2070—Other Administrative Services—Minor Head 00.105 – Special Commissions of Enquiry – 01—Law Commission, under Demand No.63, Ministry of Law and Justice, in so far as the current financial year 2015-16 is concerned. As regards the financial years 2016-2017, 2017-2018 & 2018-19, the expenditure will be met from the corresponding Grants that may be voted by Parliament for those years.

7. This order issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their communication No. 153991/E.C.I/2015 dated 18th August, 2015 and also with the approval of the Cabinet vide their communication No. 37/CM/2015 dated 11th September, 2015.

D. BHARDWAJ, Addl. Secy.